संख्या:42/2023/1510ई-2/तेरह-2023-1755040

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

विषयः-मेसर्स श्री विनोद इण्डस्ट्रीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., ग्राम पसरा, पोस्ट बानपुर, थाना लालगंज, तहसील-बस्ती सदर, जनपद बस्ती में 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-101/दो-प्रा.डी.-271/श्री विनोद, दिनांक 16-10-2023 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26-10-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-1494ई-2/तेरह-2023-1755040, दिनांक 27-10-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 16-10-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-17 एवं 18 तथा शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स श्री विनोद इण्डस्ट्रीज एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., ग्राम पसरा, पोस्ट बानपुर, थाना लालगंज, तहसील-बस्ती सदर, जनपद बस्ती द्वारा 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत अर्थात् 157.50 लाख लीटर एनहाइड्रस अल्कोहल/एथनॉल/डिनेचर्ड स्प्रिट/एस.डी.एस. तथा 25 प्रतिशत अर्थात् 52.50 लाख लीटर ई.एन.ए. एवं इम्प्योर स्प्रिट का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा एवं ग्रेन ई.एन.ए. की बिक्री केवल पेय मदिरा निर्माण हेतु किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई को एथनॉल के संचय टैंकों की स्थापना से पूर्व पेसो से अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(6) इकाई द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मासफ्लोमीटर लगाया जायेगा।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रतर कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व बकाया न हो।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 42/2023/1510(1)एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in